

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 21 जनवरी 2025 मंगलवार

सम्पादकीय

बढ़ते सड़क हादसे

यह शर्मनाक ही है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं में अन्य कारणों के अलावा सबसे अधिक भूमिका तकनीकी व गुणवत्ता की खामियां वाली सड़कों की होती है। यह भयावह है कि वर्ष 2023 में देश में हुई पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब पौने दो लाख लोगों की मौत हुई। उस पर सबसे दुखद यह है कि मरने वालों में एक लाख चौदह हजार लोग अट्ठारह से 45 वर्ष के बीच के युवा थे। जो परिवार के कमाने वाले व नई उम्मीद हैं। इन हादसों को देखते हुए ही केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक इन सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने का लक्ष्य रखा है। यह विडंबना ही है कि दुर्घटनाएं सड़कों के लिये सख्त कानून बनाने एवं तकनीक के जरिये चालकों की लापरवाही पर नजर रखने जैसे उपायों के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बेबाक सुझाव से सहमत हुआ जा सकता है कि खराब सड़क निर्माण को गैर-जमानती अपराध बना दिया जाना चाहिए। इसके लिये ठेकेदार और इंजीनियर की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाला ही में भारतीय उद्योग परिसंच के एक कार्यक्रम में उन्होंने दुख छुटाया कि विदेशों में होने वाले कार्योंक्रमों में जब भारत में रिलीफ की सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले देश के रूप में चर्चा होती है, तो उन्हें शर्म महसूस होती है। आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसे क्यों नहीं थम रहे हैं।

यह बात तय है कि अगले पांच सालों में सड़क दुर्घटनाओं को यदि आधा करना है, तो युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन कारणों को तलाशना होगा, जिनकी वजह से हर साल सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। आखिर क्या वजह है कि राजमार्गों के विस्तार और तेज गति के अनुकूल सड़कें बनने के बावजूद हादसे बढ़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजमार्गों व विभिन्न तीव्र गति वाली सड़कों में साम्य का अभाव है, वहीं मोड़ों को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु तकनीक में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को उन कारणों की पड़ताल करनी होगी, जो पर्याप्त धन आवंटन के बावजूद सड़कों को दुर्घटनामुक्त बनाने में बाधक हैं। ऐसे में जरूरी है कि सड़कों की निर्माण सामग्री और डिजाइनों की निगरानी के लिये स्वतंत्र व सशक्त तंत्र बनाया जाए, जो बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम कर सके। साथ ही मंत्रालय का दायित्व बनता है कि इस बाबत स्पष्ट नीति को सख्ती से लागू किया जाए। यह सुनिश्चित हो कि सड़कों के ठेके में मोटे मुनाफे के लिए एक समांतर भ्रष्ट तंत्र देश में विकसित हुआ है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता करने से परहेज नहीं करता। जिसके खिलाफ उठने वाली ईमानदार आवाजें दबा दी जाती हैं। निरसदंड, गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है। तब हमें यह सुनिश्चित हो नहीं मिलेगा कि उद्घाटन के कुछ ही बाद ही सड़क उखड़ गई या बारिश में घुल गई।

स्टार्टअप इंडिया

स्टार्टअप इंडिया पहल ने नौ वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान देश में 1.59 लाख स्टार्टअप को मान्यता मिली है, जिनसे 16.6 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। उम्मीद है भारत का सफ़ाद वर्ग वर्ष 2027 तक 100 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जिससे स्टार्टअप के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। जो भारत की आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभाव को प्रकाशित करेगा। कहा जाता रहे कि स्टार्टअप शहर-केंद्रित व्यवसाय मॉडल पर ध्यान केंद्रित है तथा ग्रामीण भारत की विशाल संभावनाओं की उपेक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। आधे से अधिक स्टार्टअप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से संचालित हो रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि अपशिष्ट प्रबंधन, गैर-नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में स्टार्टअप के स्टार्टअप सामाने आए हैं। छोटे शहरों के स्टार्टअप में आधे से ज्यादा का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। वास्तव में किसी भी विचार को सफल बनाने के लिए जुनून सबसे जरूरी होता है और निष्ठा तथा उत्साह से नवाचार, सुजनमानकता और सफलता का रास्ता अवरुध निवर्तला है।

इसी के चलते युवाओं की जबरदस्त सहभागिता के चलते स्टार्टअप इंडिया पहल ने लेखनयुगीन मील के पथर हासिल किए हैं और छोटे शहरों ने देश की उद्यमशीलता की गति में तेजी से योगदान दिया है। भारत के स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र को वित्तपोषण में मारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर सतर्क निदेश प्रथाओं को ओर बदलाव को दर्शाता है। निवेशकों में जोखिम लेने की क्षमता कम होने के कारण वे विकास की तुलना में लाभप्रदता को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे स्टार्टअप को विस्तार के लिए बाधा पड़ी पर निम्न रहना पड़ रहा है।

डिजिटल उपकरणों के प्रसार के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को असंगत बुनियादी असेसमेंट के कारण बाधा आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट की अनुपस्थिति अप्रयुक्त बाजारों तक पहुंच को सीमित करती है, जिससे स्थानी प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों का विकास धीमा हो रहा है। साथ ही स्थानीय संरचनावादी नीतियां, जैसे अनिवार्य डेटा स्थानीकरण, वैश्विक स्कैलेबिलिटी का लक्ष्य रखने वाले स्टार्टअप के लिए अनुपानक संबन्धी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जैसे कि भारतीय स्टार्टअप कंपनियां अनुपालन लागतों से जूझ रही हैं, वहीं अमेरिकी वैश्विक प्रतियोगिता में भारत में आक्रमक बाजार विस्तार जारी रहा। कुल मिलाकर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो गई है, फिर भी फंडिंग की कमी, विनियामक बाधाएं और सीमित नवाचार जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।

रोजगार सृजन और महंगाई पर नियंत्रण की चुनौती

—सुरेश सेठ—

आजादी के बाद, संविधान द्वारा यह घोषणा की गई थी कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करेंगे, यानी अमीर-गरीब के भेद को मिटाएंगे। हालांकि, सविधान को अंगीकार करने के तीन सदी बाद भी यह भेद जस का तस बना हुआ है। देश में प्रगति तो हो रही है, लेकिन यह चंद धनकुहरों की संपत्ति बनकर रह गई है। आज भी 10 प्रतिशत लोग देश की 90 प्रतिशत संपत्ति पर हावी हैं, जबकि 90 प्रतिशत लोग 10 प्रतिशत संपत्ति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

वर्ष 2047 तक देश को पूरी तरह से विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और यह सपना देखा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। वर्तमान सरकार के 11 वर्षों में हमने देश को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना दिया है और अगले वर्षों में तीसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। हालांकि, यह सपना है, पर क्या वास्तविकता में अमीर-गरीब का भेद मिट पाया है? क्या मेहनत करने वालों को रोजगार मिला है? और क्या वजह है कि हर सड़क में गंदब और भी अधिक परेशान होता है, जबकि अमीर और भी समृद्ध हो जाते हैं। नए आंकड़े बताते हैं कि एशिया में सबसे अधिक खरबपति



देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा गया है, लेकिन वर्तमान में अमीर-गरीब के बीच बढ़ती असमानता और मंदी के संकेत इसे चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। आर्थिक विकास की गति मंदी की ओर अग्रसर है, जबकि निवेश और रोजगार सृजन में कमी देखी जा रही है।

भारत में हैं।

भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना बहुत आकर्षक है, लेकिन इसके लिए

जीडीपी विकास दर 8-9 प्रतिशत

के बीच रहनी चाहिए। हालांकि, 2024-25 के आर्थिक वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी विकास दर पिछले

चार सालों में सबसे कम रही, जो 5.4 प्रतिशत तक गिर गई। इसका कारण महंगाई, शहरी मांग में कमी, महंगी वस्तुएं और घटती उपभोक्ता शक्ति बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त, पूंजी निवेश में कमी और उत्पादकता में अवरोध भी आर्थिक मंदी के कारण बने। वर्ष 2023-24 में भारत ने 8.2 प्रतिशत की अमूलपूर्व वृद्धि हासिल की थी, जो दशाला है कि यदि सही नीतियां अपनाई जाएं, तो आर्थिक वृद्धि संभव है। आगामी बजट में वित्तमंत्री को इस मंदी का ध्यान रखते हुए ऐसे

कदम उठाने होंगे जो निवेश को प्रोत्साहित करें, उत्पादकता बढ़ाएं, और रोजगार के अवसर सृजित करें। इसके परिणामस्वरूप मांग में वृद्धि होगी और बाजारों में निरुत्साह की स्थिति को रोक जा सकेगा। कृषि, जो देश का प्रमुख क्षेत्र है और जिसमें 62 प्रतिशत श्रम लगा है, अब उसके जीडीपी योगदान में गिरावट आ रही है।

कोविड महामारी के प्रभाव से शहरी औद्योगिक और उत्पादक क्षेत्रों से श्रम बच वापस ग्रामीण इलाकों में लौट आया है, और अब वे शहरों में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। आंकड़ों के अनुसार, 16 प्रतिशत श्रम बल कृषि से अन्य क्षेत्रों में गया था, लेकिन पिछले दस वर्षों में 19 प्रतिशत श्रम लौट आया है।

आगामी माह में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में ब्याज दरों या रेपो रेट में कटौती की आवश्यकता होगी, ताकि खेती से लेकर निवेश तक को प्रोत्साहन मिल सके और रोजगार सृजन हो सके। वर्तमान में कृषि, होटल और सम्पत्ति क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में विकास दर घट गई है। जैसे निर्माण, खनन, विद्युत, गैस, और व्यापार। इसका कारण निवेश और पूंजी निर्माण की कमी है, जो खराब मंदी में कटौती से पूरी हो सकती है। हालांकि, ब्याज दरों में कमी महंगाई को बढ़ा सकता है, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है—लेखक साहित्यकार हैं।

राजनीतिक वायदों के सिलसिले



— कमलेश पाण्डेय—

राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावों के समय महावादाओं के लिए एक से बढ़कर एक श्रीबीज की जो बीछारें हो रही हैं, वह वादों को शरित्वर नहीं तो और क्या है, इसे समझना जरूरी है! वहीं, जिन राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी वायदों के अनुपालन में कोटाही बरती, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी स्पष्ट नहीं है! इसलिए वायदे करो और फिर मुजर जानो या फिर आधे-अधूरे पूरे करो, कोई पूरने वाला नहीं है! तभी तो राजनीतिक दलों की बल्ले-बल्ले हैं। चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का सफर मचा हुआ है, इसलिए इस श्रीबीज की चर्चा पुन आवश्यक है, ताकि मतदाता जागरूक हो सकें।

कहने को तो दिल्ली को छोटा हिन्दुस्तान और दिल वालों का हारक कहा जाता है, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में यहां जितनी राजनीतिक दिलगिरी हुई, वह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे केंद्र में सत्ताकूट बीजेपी और एनडीए हो या फिर राज्य में सत्ताकूट आप और इंडिया गठबंधन, जिससे कभी आप जुड़ोसी हो देश की शलाकार हो लेती हैं! और देश की मुख्य विषयी पार्टी कांग्रेस जो अपने नेतृत्व वाले गठकेंड या फिर अपने द्वारा समर्थित गठबंधन के अपनी सुविधा के अनुसार शलाका मोड़ते हैं माहिर समझी जाती हैं, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राजनीतिक किर्तु-परन्तु की सारी हदें पार कर चुकी हैं।

चूंकि इन राजनीतिक दलों ने खुद के लिए कोई आदर्श राजनीतिक नियम और उससे निमित्त बाध्यकारी कानून नहीं बनाकर रखे हैं, जो कि नाममात्र का बनाए हुए है, जिसकी व्याख्या वे लोग अपने मनमुताबिक कर लेते हैं, इसलिए इन्हीं सारी राजनीतिक हकतों जाबजब समझी जाती हैं। वहीं, इनको तो सफाई या सजा बस जीत-हारे के माध्यम से जनता जनार्दन हो देती आई है। यहां भी वह महावादा दिल-महादिलित, पिछड़ा-अत्यंत पिछड़ा, स्वर्ण-नगरी स्वर्ण, आदिवासी-अल्प संख्यक, महिला-युवा, युवा-बुजुर्ग, किसान-जनश्रु, कामगार या पूंजीपति आदि इतने खानों में विभाजित है कि उनकी फूट डालो और शासन को की नीति अक्षर सफल होती आई

शायद इसलिए जनता, सरकार और सुशासन के मुद्दे गीग पड़ जाते हैं और श्रीबीज की चर्चा घर-घर पहुंचकर चुनावी खेल कर देती है। ऐसे में सुलगाता हुआ सवाल है कि सुशासन से लेकर रोजगार के मोर्चे पर विषाल हो चुकी जनताविक सरकारों के द्वारा जिस तरह से श्रीबीज की घोषणाएं की जा रही हैं, क्या यह देश की आर्थिक व्यवस्था वार्थी अर्थव्यवस्था के लिहाज से उचित है या फिर अनुचित है? यदि अनुचित है तो इससे सबसे बड़ा सवाल क्या है? देशा ज्ञात तो कबीराई युग से लोकतांत्रिक सरकार तक मनुष्य की पतली जेबदार शांति और सुशांता है, ताकि वह मेहनत करते हुए अपना जीवन विवाह कर सके और इस देश-दुनिया को बेहतर बनाने में अपने हिस्से का योगदान दे सके। हालांकि, ऐसे सुशासन की गारंटी तो तो तब मिली थी और न अब मिली हुई है। शासक-शासक बेहतर हो तो शक्तिपुत्र-प्रशक्ति संहार है, अन्धका जलालत ही माननीय सच है।

याद दिला दें कि एक जमाने में तो राजनीतिक दल शिखा और स्वास्थ्य के बजट में कटौती कर कटौती करते करते गए कि राजकोषीय घाटा को पाटना हैं। और अब उन्हीं के द्वारा जन प्रौद्योगिकी की वकालत हो रही है तो इस सिवासी तिकड़म को समझना भी दिलचस्प है। चाहे संसदीय चुनाव हो या विधान मंडलीय चुनाव, यह राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राजनीतिक किर्तु-परन्तु की सारी हदें पार कर चुकी हैं।

चूंकि इन राजनीतिक दलों ने खुद के लिए कोई आदर्श राजनीतिक नियम और उससे निमित्त बाध्यकारी कानून नहीं बनाकर रखे हैं, जो कि नाममात्र का बनाए हुए है, जिसकी व्याख्या वे लोग अपने मनमुताबिक कर लेते हैं, इसलिए इन्हीं सारी राजनीतिक हकतों जाबजब समझी जाती हैं। वहीं, इनको तो सफाई या सजा बस जीत-हारे के माध्यम से जनता जनार्दन हो देती आई है। यहां भी वह महावादा दिल-महादिलित, पिछड़ा-अत्यंत पिछड़ा, स्वर्ण-नगरी स्वर्ण, आदिवासी-अल्प संख्यक, महिला-युवा, युवा-बुजुर्ग, किसान-जनश्रु, कामगार या पूंजीपति आदि इतने खानों में विभाजित है कि उनकी फूट डालो और शासन को की नीति अक्षर सफल होती आई

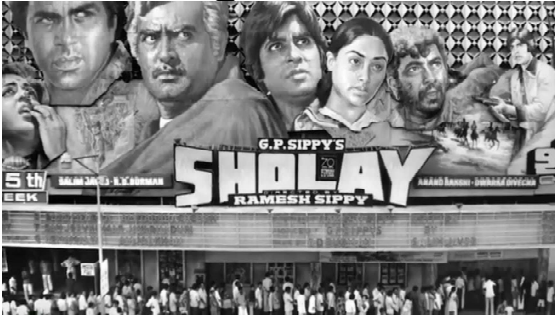
इतिहास बन गये पुराने सिनेमाघर

—हेमंत पाल—

बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदला। जीत का अंदाज, नई जरूरतें, सुविधाएं और यहां तक कि मनोरंजन का तरीका भी नए जमाने के साथ बदल गया। याद कीजिए दो—तीन दशक पहले फिल्म देखने का आनंद कैसा था। तब आज की तरह घर बैठे टिकट बुक नहीं होते थे और न सीटें आरामदायक थीं। उस समय सिनेमाघर की टिकट खिड़की में हाथ घुसाकर झुड़ी में टिकट थामकर मससे हुए टिकट ऐसे लगते थे जैसे जंग जीतने का प्रमाण पत्र मिल गया हो। उसके बाद हॉल में तीन घंटे तक फिल्म के साथ-साथ कई तरह के मनोरंजन की बात ही अलग थी। आज वो सिर्फ याद बनकर रह गया। अब न बैसे सिनेमाघर बचे, न दर्शक। सिंगल स्क्रीन तो करीब-करीब खल हो गई। उनकी जगह ब्रांडेड मल्टीप्लेक्स ने ले ली। पहले 3 रुपाए 20 पैसे के दर्शक कलान्ते में अकड़कर बैठता था, आज वहीं टिकट 500 से शुरू होकर एक हजार रुपए से ज्यादा में मिलता है। उसमें भी सुविधा के मुताबिक पैसे लिए जाते हैं। यानी दर्शकों का फिल्म देखने का अंदाज ही नहीं बदला, सुविधाएं भी जेब पर असर डालने लगीं।

फिल्में बनना, उनका रिलीज होना आज फिर थिएटर में जाकर दर्शकों का उन्हें एंजोय करना, मनोरंजन की दुनिया में ये सब रोज का आया है। इसके पीछे मकसद होता है—दर्शकों को अपनी फिल्म तक खींचना और उसके जरिये दर्शक तैयार करना। आज करीब हर शहर में मल्टीप्लेक्स थिएटर हैं, जहां दर्शक आरामदायक सीटें, बेहतर साउंड क्वालिटी के साथ फिल्म एंजोय करते हैं। लेकिन, मुझे मुझकर देखा जाए, तो एक दौर वह भी था, जब सिर्फ सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर हुआ करते थे। फिर भी इनका अलग ही क्रेज था। दर्शकों को थियेटर की सुविधा पाओं से कोई वारंता नहीं था। बस बैठने को सीट हो और सामने परदे पर फलम दिखाई दें तो समय अड़बट न आए। पुराने समय में फिल्म बनाने की कम बड़ी चुनौती नहीं थी। क्योंकि, उस काल में फिल्म बनाने की तकनीक आज की तरह विकसित नहीं थी। फिल्म पूरी होने के बाद हर निर्माता—निर्देशक की लक्ष्य होती है कि उसे बेहतर दंग से रिलीज किया जा सके। पहले उनकी इस उम्मीद को सिंगल स्क्रीन पूरा करते थे, आज वहीं भूमिका मल्टीप्लेक्स निभाते हैं।

अब फिल्म का अंशकाल भी बदल गया। पहले सिस्वर और गोल्डन जुबली सीमा 25 और 50 हफ्ते चलने वाली फिल्म ही सुपर हिट कहलाती थी। आज तो पहले शो से अंदाजा



मनोरंजन का असली आनंद उन दर्शकों ने कुछ ज्यादा ही उठाया, जिन्होंने 70 और 80 का दौर देखा है। तब पहले दिन-पहला शो देखने का जो जुनून था आज उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शो से दो घंटे पहले टिकट खिड़की पर लाइन लगना, धक्का-मुक्की से टिकट हाथ में आना, हॉल में घुसने की जंग, सीट नम्बर नहीं हों तो सीट का जुगाड़। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टीप्लेक्स ने संभ्रांत दर्शकों और सुविधाजनक मनोरंजन की आदत डाल दी। अब न तो हॉल में सीटियां सुनाई देती हैं और न दर्शकों के कमेंट।

लगा लिया जाता है। दो या तीन हफ्ते चलने वाली फिल्म भी हिट हो जाती है। इसलिए कि अब फिल्म कमाई सिर्फ दर्शकों के टिकट की खरीद पर ही निर्भर नहीं रह गई। फिल्मकारों ने इस कारोबार में ऐसे कई नए विकल्प खोज लिए, जो उनकी कमाई के नए रास्ते खोलते हैं। फिल्मों के डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स बेचकर भी फिल्म निर्माता पैसे कमाते हैं। फिल्मों के रीमेक, प्रीक्वेल, सीक्वल, और डांबिंग राइट्स बेचकर भी कमाई की जाती है। इसके अलावा ओवरसीज राइट्स से भी पैसा कमाया जाता है। इसके बाद फिल्म के प्रदर्शन पर निम्नर्ष है कि किताना कल्पना होगा। कई निर्माता विदेश में शूटिंग करके मिलने वाली फूट से भी कमाई करते हैं। जैसे टेलन में शूटिंग करके। इसके बाद आता है शोस ऑफिस। लेकिन, यह सब फिल्म के प्रदर्शन पर निर्भर होता है। यदि फिल्म दर्शकों की पसंद पर खरी उतरी तो सारे राइट्स से कमाकर देते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारे राइट्स का कोई मालबत नहीं रह जाता। इस पूरे टेंड से निर्माता को ये फायदा हुआ कि भले ही उसकी फिल्म नहीं चले पर प्रोडक्शन कॉस्ट तो निकल ही आती है। याद कर दो कि कल ही फिल्म 'मेरा नाम जोकर' को। इस फिल्म की असफलता ने दर्शकों

करीब-करीब बर्बाद कर दिया था। जबकि, आज यह स्थिति किसी निर्माता के सामने होती, तो हालात इतने बुरे नहीं होते। बड़े परदे पर फिल्में देखने की शुरुआत सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों से ही हुई। सिंगल स्क्रीन उन्हें कहा जाता है, जहां एक स्क्रीन हो और उस पर रोज फिल्म के 4 शो दिखाए जाते हैं। कुछ ऐसे थिएटर आज भी बड़े शहरों में मिल जाते हैं। लेकिन आज के दौर में सिंगल के बजाय मल्टीप्लेक्स का क्रेज बढ गया। मल्टीप्लेक्स ऐसे सिनेमाघर होते हैं, जहां एक से ज्यादा स्क्रीन हों। कई अलग-अलग फिल्में एक साथ चलती हैं। आज मल्टीप्लेक्स का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनकी बनवाट और सीट का दायरा भी अलग रहता है। जहां सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर में फर्स्ट क्लास और बालकनी से दो सीटिंग फॉर्मेट होते हैं। वहीं, मल्टीप्लेक्स में सीटिंग फॉर्मेट और सीट का दायरा भी अलग रहता है। इससे दर्शकों को अधिक सुविधा मिलती है।

दिसंबर 1947 में लिबर्टी सिनेमाघर बना था। इस सिनेमा हॉल को इसका हुस्न से बनाया था और इसका आर्किटेक्चर परांस से प्रभावित रहा। यह आवासीय का सात था, इसलिए इसका नाम 'लिबर्टी' रखा गया। ये अपने आप में कुछ खास सिनेमाघर रहा जहां फिल्में का प्रदर्शन भी अच्छा

हुआ करता है। यहां 1960 में फिल्म 'गुल ए आज़म' का प्रीमियर हुआ व 'मदर इंडिया' 25 अक्टूबर 1957 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म पूरे साल यहां लगी रही। जो उस दौर का रिकॉर्ड था। इसके बाद 1994 में सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'रूम आपकें हैं' कोन इस सिनेमाघर में 105 दिनों तक चली थी। राज कपूर भी इस सिनेमाघर के मुगुरिद रहे। उनकी कई बड़ी फिल्में यहां रिलीज हुईं, उनमें 'राम तेरे गंगा मैली' भी थी। प्रेस प्रीपरी और प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए पांचवी मंजिल पर 30 सीट का लिबर्टी मिनी भी बनाया गया था।

मध्य प्रदेश के बड़े शहर इंदौर में 20 साल पहले तक 30 से ज्यादा सिंगल स्क्रीन टीकीज चल रहे थे। लेकिन, अब वो स्थिति नहीं रही है। अब यहां देश के सभी बड़े ब्रांड वाले मल्टीप्लेक्स के साथ आपन एयर ड्राइव इन थिएटर भी हैं। इस बीच इंदौर के एक व्यवसायी ने सिंगल स्क्रीन सिनेमा की यादों को धरोहर के रूप में संजो लिया। यह देश का अकेला सिंगल स्क्रीन म्यूजियम है। इसमें इंदौर के 30 से ज्यादा टीकीज से जुड़े फोटो, टिकट, स्टाइड, प्रोजेक्टर, पोस्टर सहित कई चीजें रखी गई हैं। साल 1917 से लेकर 2000 के दशक तक का कलेक्शन है। उद्यमी विनोद जोशी को सिनेमा से जुड़ी यादें सहेजने का शौक 1983 से था जिसे 2015 में उन्होंने इस तरह पूरा किया। उन्होंने अपने म्यूजियम की टिकट दर भी इतनी ही रखी है, जितनी उस दौर में थी। सिनेमा की टिकट (1 रुपए 60 पैसे) थी। उनके कलेक्शन में किस सात, किस महोती में, किस टीकीज में, कौन सी पियवर चली, उसके डिजाइन, पोस्टर कैसे होते थे—वह सब शामिल है। यह भी कि प्रोजेक्टर से परदे पर फिल्म कैसे दिखाई जाती थी। यह फिल्में के ट्रेलर की स्टाइड भी दिखाते हैं। उन्होंने इंदौर के पुराने क्रीक्यू टीकीज को भी मॉडल बनाया। ऐसे ही अन्य टीकीजों के भी मॉडल हैं।

